न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 32/2021

अपीलान्ट्स **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

1 शैतानराम पुत्र कोजाराम
2 उगमाराम पुत्र बीजाराम जातियान मेघवाल निवासीगण दांतीणा तहसील खींवसर जिला नागौर।

1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतीणा तहसील खींवसर जिला नागौर जरिये प्रधानाचार्य।
2 तहसीलदार (भू.अ.) खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भूराराम बिकुनिया अधिवक्ता, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 19.09.2024

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खींवसर मौजा दांतीणा के नामान्तरकरण सं. 1051 निर्णय दिनांक 07.11.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 06.09.2021 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 02 की ओर श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा दांतीणा के नामान्तरण संख्या 1051 की फोटोप्रति, मौजा दांतीणा के मिलान क्षेत्रफल 2020 की फोटोप्रति, मौजा दांतीणा के जमाबंदी सम्वत 2020 से 2071 की फोटोप्रति, गिरदावरी की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 दिनांक 01.03.2024 को अपना जवाब पेश किया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स ग्राम दांतीणा के खसरा नम्बर 141 रकबा 4.12 बीघा गैर मुमकिन ढाणी तहसील खींवसर के निवासी है, उक्त खसरा नम्बर 141 का रकबा 4.12 बीघा की किस्म शुरू से ही राजस्व रेकर्ड में गेर मुमकिन भांबी की ढाणी दर्ज रही है जिसमें अपीलांट्स व उसके परिवार वालो की व अन्य लोगो की करीब 25–30 ढाणियां स्थित है जिसमें काश्तकार लोग परिवार सहित निवास करते है जो ग्रामीण परिवेश के अनपढ गरीब किसान वर्ग के लोग है तथा पिछले 70–80 वर्षों से यानि पीढियो से यही निवास करते है तथा राजस्व रेकर्ड में भी शुरू से ही उक्त खसरा गेर मुमकिन भांबी की ढाणी दर्ज रहा है और ऐसी भूमि को अन्य किसी के नाम हस्तान्तरित/आवंटन नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में बाले बाले तहसीलदार खींवसर के कथित आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/4435 दिनांक 19.10.2016 का हवाला देते हुए उसके आधार पर उक्त खसरा नम्बर 141 किस्म गे.मु. ढाणी को बिना अपीलांट्स व अन्य काबिज निवासीगण की सुनवाई किये सम्पूर्ण रकबा रेस्पो. संख्या 1 स्कूल के नाम म्यूटेशन बाले बाले दर्ज कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट्स को नहीं रही है अपीलांट्स को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही नामान्तरकरण हेतु कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई न ही मौके की जांच की गयी व उक्त नामान्तरकरण के पश्चात भी रेस्पोडेंट संख्या 1 स्कूल वालो ने अपीलांट्स को इस बारे में बताया व एकाएक हाल ही में अपीलांटस को बेदखल करके उनकी रहवासी ढाणियो को तोड कर उनको बेदखल करके स्कूल बाउण्ड्री, खेल मैदान आदि विकसित करने की ऐलानिया कही व ऐसी चर्चा होने लगी तब अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय मे जाकर पता किया व नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 16.08.2021 को कथित नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई तत्पश्चात कानूनी जानकारों को बताया व अपील की कानूनी राय मिलने पर अपील तैयार की गई। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलान्ट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

19/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– विवादित नामान्तरकरण जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व गौर लापरवाही या मिलीभगती से स्वीकृत किया होने से निरस्तनीय है व उससे संबंधित खसरा नम्बर 141 रकबा 4.12 बीघा मौजा दांतीणा के रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल कर गेर मुमकिन ढाणी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

{2}(II)– विवादित नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व नामान्तरकरण हेतु बनी विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गयी, मौके पर काबिज व निवास करने वाले अपीलांट्स व दीगर ढाणीयों वालो को न तो नोटिस दिया न उनकी सनुवाई की गयी न ही उनको इस बारे में बताया गया कि उक्त खसरा को रेस्पोडेंट संख्या 1 को आंवटित किया जा रहा है व सारी कार्यवाही बाले बाले पीठ पीछे करते हुए उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी काश्तकार के रहवासी स्थल/ ढाणी/ मकान की जायगा को अन्य किसी को आंवटित/किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है यदि हस्तगत नामान्तरकरण से पूर्व अपीलांट्स को इस बारे में नोटिस देकर सूचित किया जाता व उनकी आपंतियों, जवाब प्रतिवेदना ली जाती तो अपीलांट्स तमाम तथ्य स्पष्ट करते और ऐसा नामान्तरकरण कतई स्वीकृत नहीं हो सकता था, इसके अलावा यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि तहसीलदार भूमिधारी को राजस्व रेकर्ड की भलीभांति जानकारी रही है कि उक्त खसरा कदीमी समय से राजस्व रेकर्ड में गेर मुमकिन ढाणी के रूप में दर्ज है जिस पर कई लोगो की रहवासी ढाणियां, पानी के टांके, पशुओ के बाडे बने हुए है पीढियो से लोग वहां निवास कर रहे है व लाखो रूपये खर्च के रहवासी स्थान बना रखे है तो ऐसी स्थिति में उक्त रहवासी जायगा को सरकारी स्कूल के नाम दर्ज करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता मगर अपीलांट्स की कोई सुनवाई नहीं की गयी उनको जानबूझ कर सुनवाई से वंचित रखा गया है व उक्त गे.मु. ढाणी किस्म की भूमि को स्कूल के लिए दर्ज करने/आंवटित करने की कतई आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि स्कूल परिसर में भवन वगैरा बने हुए है इसके बावजूद यदि और जमीन की आवश्यकता हो तो इस हेतु अन्य काफी सरकरी जगह खुली पडी है मगर स्थानीय राजनेतिक पार्टीबाजी के चलते जानबूझ कर अपीलांट्स को नाजायज तंग परेशान करने व उनको बेघर करवाने के लिए बाले बाले सारी अवैधानिक कार्यवाही की गयी है जिसकी पालना में भरा गया म्यूटेशन जैर अपील स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–विधि का यह भी सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस स्थल पर जो व्यक्ति पीढियों से काबिज हो उस स्थल का अन्य के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उन पीडित व प्रभावित लोगो को विधिवत नोटिस देकर सूचित कर उनकी सुनवाई की जाती उसके पश्चात अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही की जानी विधि द्वारा आपेक्षित होते हुए भी इस प्रकरण में कोई विधिक प्रावधानो की पालना नहीं की गयी है व सरसरी तौर पर ही नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया होने से निरस्तनीय है।

{3} वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर 141 मौजा दांतीणा में से रकबा 4.12 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन ढाणी है। उक्त नामान्तरकण विधि अनुसार भरा गया है, जिससे उक्त अपील खारिज की जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खींवसर मौजा दांतीणा के नामान्तरकरण सं. 1051 निर्णय दिनांक 07.11.2016 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त नामान्तरकरण श्रीमान् जिला कलक्टर के आंवटन आदेश क्रमांक एफ12(42)/राजस्व/2016/24838 दिनांक 09.06.2016 की पालना में भरा गया है। अपीलांट्स ने भी ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य/आदेश न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया है कि श्रीमान् जिला कलक्टर के आवंटन आदेश आज दिन प्रभावी नहीं हो? अतः उक्त नामान्तरकरण विधिअनुसार भरा जाना प्रतीत होता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है। जिससे किसी के स्वत्व का निर्धारण नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर